

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (म.प्र.)

// सामान्य परिपत्र //

क्रमांक /दो-19-2/85,

सीहोर, दिनांक

मैरे ज्ञान में तथ्य आये है कि जिला स्थापना पर कार्यरत जिला न्यायाधीशों के न्यायालयों में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अधिकांश मामलों में सम्पूर्ण दस्तावेज नही लगाये जा रहे है, जिससे कि उक्त मामलों में पर्याप्त दस्तावेज नही होने के कारण जबाव दावा आदि के निराकरण में विलम्ब की स्थिति निर्मित होती है।

अतः इस परिपत्र के जरिये समस्त पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अधीनस्थ प्रस्तुतकारों को निर्देशित करें कि जब भी प्रतिकर से संबंधित मामला पेश हो उसमें आवश्यक दस्तावेज होने पर ही मामलों को स्वीकार करें।

अतः उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

Sch
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीहोर(म.प्र.)

सीहोर, दिनांक 20/5/24

1447
पृष्ठां.क्रमांक /दो-19-2/85,
प्रतिलिपि-

- 1- समस्त जिला न्यायाधीशगण, मुख्यालय सीहोर/आष्टा/नसरुल्लागंज एवं बुदनी की और पालनार्थ प्रेषित।
- 2- जे.एस.ए., कम्प्यूटर अनुविभाग, सीहोर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह उक्त परिपत्र को समस्त जिला न्यायाधीशगण की ई-मेल पर प्रेषित करें।

[Signature]
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीहोर(म.प्र.)